न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / राजस्व / 05 / 2020

1. राधेलाल पुत्र जमुनाप्रसाद
2. भीमसिंह
3. रामचन्द
4. लक्ष्मीकान्त

पुत्रगण रामचरन जाति ब्राह्मण निवासी बछौली छार तहसील नदबई जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिए पैरोकार सरकार भरतपुर।

.....रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरुद्ध निर्णय दि0 14.02.2020 न्यायालय तहसीलदार नदबई उनवानी राज0 सरकार बनाम राधेलाल वगै0 प्रकरण सं. 66 / 2019 अर्न्तगत धारा 91 एलआर एक्ट

———

उपस्थित :–
1–श्री महाराजसिंह डागुर एड0, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2–राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक 28.12.2021

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई के निर्णय दिनांक 14.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार नदबई ने अतिकमी अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 805 / 0.28 गै0मु0रास्ता में से 394.45 वर्गमीटर पर फसल व अर्द्व चबूतरा से बेदखल किये जाने एवं शास्ती आरोपित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेण्ट के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्व आराजी खसरा नम्बर 805/0.28 से 394.45 वर्गमीटर भूभाग पर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही कर उक्त भूखण्ड से बेदखल करने व 50 गुना पैनल्टी कायम करने व फसल को नीलाम करने का आदेश दिया गया है जो कि विधि एवं तथ्य विरूद्व है। अपीलार्थी ने किसी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही किया है पटवारी हल्का ने गांव में पार्टीबंदी के आधार पर झूठी अतिक्रमण करने की रिपोर्ट कराई गई है। विवादित स्थल की अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मौके की पैमाइश नही कराई गई है और न ही सीमांकन की कार्यवाही की गई है। विवादित स्थल को गै0मु0 रास्ता बताया है जबकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित होना बताया है जो कि 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही करने के अधिकार क्षेत्र में नही है। विवादित स्थल खसरा नम्बर 805/0.20 में तथाकथित नाप का मौके पर मंदिर बना हुआ है जो कि रास्ता की पश्चिम भुजा से सटकर बनाया गया है जो अपीलार्थी की आराजी उक्त रास्ते से पश्चिम दिशा में लगा हुआ चिपटेवा है व गावं की पार्टीबंदी के आधार मंदिर के पीछे होकर अपीलान्ट के खेत ख0न0 768/1, 773/2, 3585/768 मे होकर नया रास्ता कायम करना चाहते है, इसलिए उक्त कार्यावाही न्यायालय के तहत कराई गई है जो कि गलत है। आराजी खसरा नम्बरान 1268, 1373/1, 1374,1387, 1389, 1442/1, 375/1,428/2,768/1,773/2,3585/768 वाके ग्राम बारौलीछार तहसील नदबई अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई में दायर किया हुआ है जिसमें मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंदी के आदेश जारी किये हुये है। न्यायालय ने अतिक्रमण के सबंध में नोटिस व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिये था ऐसा नही कर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2020 को निरस्त किया जाकर कार्यवाही को समाप्त किये जाने का निवेदन किया है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट्स ने विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता पर फसल व अर्द्व पक्का चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नियमानुसार की है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित व सही है। अन्त में राजकीय अभिभाषक ने अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का बरौलीछार द्वारा अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 805 में से 0.28 है0 गै0 मु0 रास्ता पर फराल व अर्द्ध पक्का चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है। जिसे तहत अदालत द्वारा 50 गुना पैनल्टी कर बेदखली के आदेश पारित किया गया है। तहत पत्रावली में अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी नदवई में विचाराधीन प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा रामचन्द पुत्र रामचरन बनाम भीमसिंह वगै0 की प्रति पेश की है। अपीलान्ट्स द्वारा विवादित आराजी पर अपना कब्जा या अतिक्रमण होना नही बताया गया है किन्तु अपील के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत पेश नही किये गये है। इस कारण अपीलान्ट्स किसी भी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने के हकदार नही रहते है। तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली तहत अदालत को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर